राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
जयपुर, दिनांक : 28 NOV 2024

सं. एफ.5(3)वित्त/कर/2022-101:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(3)वित्त/कर/2022-101 दिनांक 30.10.2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ0 खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : अक्टूबर 30, 2024

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2024-86 दिनांक 10.07.2024 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि अधिनियम से संलग्न अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ड.) के अधीन करार या किसी करार के ज्ञापन और अनुच्छेद 44 के खण्ड (च) के अधीन मुख्तारनामे पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और भूमि के बाजार मूल्य के 1.25 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: जब समान पक्षकारों के मध्य और समान संपत्ति के संबंध में अनुच्छेद 5 के खण्ड (ड.) के अधीन निष्पादित करार या किसी करार के ज्ञापन पर या, यथास्थिति, अनुच्छेद 44 के खण्ड (च) के अधीन निष्पादित मुख्तारनामे पर समुचित स्टाम्प शुल्क संदत्त कर दिया जाता है तब अनुच्छेद 5 के खण्ड (ड.) या अनुच्छेद 44 के खण्ड (च) के अधीन पश्चातवर्ती दस्तावेज पर प्रभार्य शुल्क एक सौ रूपये होगा।

(सं. एफ. 5(3)वित्त/कर/2022-101)
राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(डॉ0 खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रकाशन के लिए प्रेषित सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी एक समान हैं।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान), राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
6. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव